न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 375-एक/2015 - विरूद्ध आदेश दिनांक 24-1-2015 - पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, सागर - प्रकरण कमांक 32 अ-27/2012-13

1- काशीराम पुत्र जमना पटैल
2- गिरधर पुत्र छोटेलाल पटैल
3- देवेन्द्र पुत्र छोटेलाल पटैल
4- पार्वती पत्नि स्व.छोटेलाल पटैल
5- तुलसीराम पुत्र काशीराम पटैल
सभी निवासी पालीवाल चक्की के पास
तिला, बाघराज बार्ड सागर --आवेदकगण

विरूद्ध

1- नंदकिशोर पुत्र गोरेलाल पटैल
धर्मदास वावा के पास तिली
बाघराज बार्ड सागर
2- रामनाथ पुत्र गोरेलाल
3- सुखलाल पुत्र रामनाथ पटैल
पालीवाल चक्की के पास
तिला, बाघराज बार्ड सागर
4- नवीन पुत्र नारायण प्रसाद पटैल
इन्द्रप्रस्थ कालोनी के सामने तिली रोड
बार्ड सागर तहसील व जिला सागर ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री ओ0पी0शर्मा)

आदेश

(आज दिनांक 19-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 32 अ-27/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-1-15 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक कमांक 1 ने अनावेदक कमांक 2 से 5 के विरूद्ध तहसीलदार सागर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पारिवारिक भूमि के शासकीय अभिलेख में बटवारे की मांग की, जिस पर अनावेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार सागर ने हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर प्रकरण कमांक 12अ-27/ 2009-10 में आदेश दिनॉक 9-11-12 पारित किया तथा बटवारा फर्दे तैयार कराकर पक्षकारों के बीच कब्जे अनुसार बटवारा करना स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 2 एंव 3 ने अनुविभागीय अधिकारी, सागर के समक्ष अपील कमांक 47/अ-27/12-13 प्रस्तुत की। अपील प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदकगण ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 41 नियम 27 का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 22-1-13 से स्वीकार किया एंव प्रकरण कमांक 32 अ-27/ 2012-13 के साथ सुनवाई हेतु संलग्न करने का आदेश दिया।

तहसीलदार सागर व्दारा प्रकरण कमांक 12 अ-27/ 2009-10 में पारित आदेश दिनॉक 9-11-12 के विरूद्ध दूसरी अपील नंदकिशोर अनादेक कमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 32 अ-27/ 2012-13 पर पंजीबद्ध हुई। प्रकरण में सुनवाई के दौरान काशीराम वगैरह नंदकिशोर- के अभिभाषक ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन देकर बताया कि खसरा नंबर 45/3 रकबा 1.70 एकड़ का बटांकन कराया गया, किन्तु प्रेतिअपीलार्थी क. 6 व 7 को पक्षकार नही बनाया गया। खसरा नं. 45 के पूर्व में बटांकन किये गये हैं उन बटांकों के नक्शा

में रकबा बड़ा दिया गया है। खसरा नं. 45/1, 45/4, 45/5 के लगभग 38 डिस्मल रकबा कम हो रहा है जिस कारण बटांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 24-1-15 पारित करके धारा 32 का आवेदन स्वीकार किया एंव प्रकरण तर्क हेतु नियत किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अनुविभागीय अधिकारी सागर के अपील प्रकरण कमांक 47/अ-27/12-13 एंव अपील प्रकरण कमांक 32 अ-27/ 2012-13 में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 24-1-15 एंव तहसीलदार सागर के प्रकरण कमांक 12 अ-72/ 2009-10 मे पारित आदेश दिनांक 9-11-12 के तुलनात्मक अध्यूयन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 24-1-15 में धारा 32 का आवेदन स्वीकार निर्णीत किया है कि :-

> " मेरे व्दारा उभय पक्षों के लिखित एंव मौखिक तर्को का श्रवण किया गया। प्रति-अपीलार्थी व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नक्शा में सुधार किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रति-अपीलार्थी का धारा 32 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।"

तात्पर्य यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 32 का आवेदन स्वीकार कर प्रतिअपीलार्थी की नक्शा सुधार करने की मांग अप्रत्यक्ष रूप स्वीकार कर ली, जबकिं दो अपील प्रकरणों का अंतिम निराकरण होना था। नक्शा सुधार कार्य मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धार 107 के अंतर्गत किया जाता है ऐंव इस धारा के अंतर्गत मूल न्यायालय कलेक्टर है इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी व्दारा धारा 32 के आवेदन व्दारा नक्शा

सुधार की मॉग एंव नक्शा सुधार का आवेदन अप्रत्यक्षरूप से स्वीकार करने में अधिकारिता-विहीन कार्य किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित अंतरित आदेश दिनांक 24-1-2015 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

तहसीलदार सागर के प्रकरण क्रमांक 12 अ-72/2009-10 मे पारित आदेश दिनांक 9-11-12 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उन्होंने आदेश के अंत में निष्कर्ष दिया है कि :-

"प्रकरण में आये तथ्यों से पाया जाता है कि मौजा तिली माफी में भूमि खसरा नं0 45/2 रकबा 2.70 एंव खसरा नं0 47/3 रकबा 1025 उभय पक्षों के नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज है एंव पक्षकारों का आवेदन पत्र वर्णित अनुसार मौके पर बटवारा अनुसार कब्जा दर्ज है कब्जा अनुसार आवेदक खाता प्रथक प्रथक दर्ज कराना चाहता है। अतः म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 क तहत मौजा तिली स्थित भूमि खसरा नं0 45/2 रकबा 2.70 ए0 खसरा नं. 47/3 रकबा 1.25 ए0 का निम्नानुसार बटवारा कर खाता प्रथक प्रथक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। "

त्हसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि उन्होंने मात्र खाता अलग अलग किया है जबकि पक्षकारों के बीच पूर्व से ही घरू बटवारा है एंव वह अपने अपने हिस्से की भूमि पर काविज होकर खेती करते आ रहे है तद्नुसार ही तहसीलदार ने अभिलेख में अमल करते हुये खाता प्रथक करने के आदेश दिये हैं।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 178 - निजी ठहराव या व्यवस्था के अधीन आवेदन के पूर्व घरू **(Private)** बटवारा होकर अपने अपने हिस्सों पर काविज हैं तब आवेदक बराबरी का हिस्सा विभाजन की कार्यवाही करने की मांग नहीं कर सकता। (रघुनाथ बनाम दिली 1970 रा0नि0 596 से अनुसरित)
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 178 - पक्षकारो के मध्य मौखिक विभाजन - दुवारा विभाजन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा (1988 रा0नि0 94 हाईकोर्ट)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा की गई खाता प्रथककरण की कार्यवाही उभय पक्ष के बीच पूर्व में हुये घरेलू बटवारे एंव मौके पर कब्जे, खेती करते चले आने के आधार पर आधारित है जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सागर ने दोनों अपीलों में ग्राह्यता पर सुनवाई न करते हुये धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन की मांग अनुसार नक्शा सुधार करने की मांग अप्रयत्रूप से स्वीकार करने में त्रृटि की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सागर ब्दारा अपील क्रमांक 47/अ-27/12-13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22-1-13 एंव अपील प्रकरण क्रमांक 32 अ-27/ 2012-13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24-1-15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार सागर ब्दारा प्रकरण क्रमांक 12 अ-72/ 2009-10 मे पारित आदेश दिनांक 9-11-12 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर